बाज़ार प्रतिभागियों द्वारा नीलामियों में बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए आवेदन का प्रारूप

क्षेत्रीय निदेशक
लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट, मुंबई - 400 001

महोदया/महोदय,

______________________________ (सरकारी प्रतिभूति/राज्य सरकार प्रतिभूति/ खज़ाना बिल /स्विच/सरकारी प्रतिभूति की पुनर्खरीद/सीएमबी के नाम) के लिए निविदा

नीलामी की तिथि __________________

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या ___________ दिनांक ________ और उसके तहत जारी निविदा सूचना के अनुसरण में, मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति खरीदने का प्रस्ताव करते हैं:

सदस्य/घटक का नाम$$	
एसजीएल/सीएसजीएल खाता संख्या	
सदस्य सीआईएफ	
पता और फोन नंबर	
बोली किसके लिए	1. सदस्य खाता
	2. सदस्य के घटक
बोली की श्रेणी	1. प्रतिस्पर्धी
	2. गैर-प्रतिस्पर्धी

केवल प्रतिस्पर्धी बोली के लिए

सरकारी प्रतिभूति का नाम (जिसके लिए बोली लगाई गई है) ______________________
बोली की राशि ₹ में (अंकित मूल्य (फेस वैल्यू)) ______________________
कीमत बताएं (₹ 100.00 की प्रति अंकित मूल्य पर)/**प्रतिफल** (प्रति वर्ष प्रतिशत में)/ **स्प्रेड**@ _________________________

@टिप्पणी:

1. नई प्रतिभूति के मामले में, प्रतिफल(यील्ड) प्रतिशत को दो दशमलव बिंदु तक दिया जाना चाहिए।

2. दोबारा जारी की गई प्रतिभूति के मामले में, कीमत को ₹ में दो दशमलव बिंदु तक दिया जाना चाहिए। *3.* **खज़ाना** *बिल के मामले में, कीमत को ₹ में चार दशमलव बिंदु तक दिया जाना चाहिए।* *4. नए अस्थिर दर वाले (फ्लोटिंग रेट) बॉन्ड के मामले में, स्प्रेड को प्रतिशत के रूप में दो दशमलव बिंदु तक दिया जाना चाहिए।*

केवल गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के लिए

सरकारी प्रतिभूति का नाम(जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है) ------------------------------
बोली की राशि ₹ में अंकित मूल्य -----------------------------------

केवल सरकारी प्रतिभूति में स्विच/प्रति-खरीद(बाई बैक) के लिए

स्रोत/मूल प्रतिभूति का नाम ____________________ स्रोत/मूल प्रतिभूति की राशि ₹ में (अंकित मूल्य) ________________ स्रोत/मूल प्रतिभूति का मूल्य ______________ (दो दशमलव अंक तक दिया जाए) ## निर्दिष्ट प्रतिभूति का चयन _______________ ##निर्दिष्ट प्रतिभूति का मूल्य _______________ (दो दशमलव अंक तक दिया जाए)

वचन

1. मेरी/हमारी बोली को स्वीकार करने पर, मैं/हम आपको यह अधिकार देते हैं कि आप मेरे/हमारे चालू खाते से, या भारतीय रिज़र्व बैंक
में रखे गए हमारे 'निर्दिष्ट निपटान बैंक' के चालू खाते से आवश्यक राशि डेबिट कर लें।

2. मैंने/हमने ऊपर बताई गई तारीख को होने वाली नीलामी के लिए बोली के नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।

3. मैंने/हमने ऊपर बताई गई तारीख को होने वाली नीलामी के लिए, 'सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना' में शामिल गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के नियम और शर्तें पढ़ ली हैं, और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।

4. मैंने/हमने ऊपर बताई गई तारीख को होने वाली नीलामी के लिए, उन्हीं ग्राहकों की ओर से कोई अन्य गैर-प्रतिस्पर्धी बोली जमा नहीं की है।

5. मैंने/हमने गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगाने वालों का विवरण (जैसे नाम, पता, बोली की राशि आदि) दर्शाने वाली एक सूची साथ में संलग्न की है।

6. मैंने/हमने ऊपर बताई गई तारीख को होने वाली नीलामी के लिए, कोई अन्य बोली भी प्रस्तुत किया है/कोई अन्य बोली प्रस्तुत नहीं कीहै। **

भवदीय/ भवदीया

हस्ताक्षर:

पदनाम:

दिनांक:

बोली लगाने वाले/वालों के कार्यालय की मुहर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं जिनके हस्ताक्षर लोक ऋण कार्यालय, मुंबई में पंजीकृत हैं)

$$ यदि आवेदन किसी घटक की ओर से है, तो घटक का नाम बताएं

सरकारी प्रतिभूति के स्विच ऑक्शन के मामले में लागू

** जो लागू न हो उसे काट दें

टिप्पणियां

1. यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हैं, तो उस पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर गवाह के तौर पर होने चाहिए। गवाहों का पूरा नाम, पेशा और पता उनके हस्ताक्षर के साथ लिखा होना चाहिए।

2. यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम पर किया गया है, तो नीचे दिए गए दस्तावेज़–यदि वे पहले से ही लोक ऋण कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं–निवेश राशि के साथ लोक ऋण कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए:

i) निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र, या उसकी एक प्रति जिसे जारी करने वाले प्राधिकारी ने अपनी सरकारी मुहर के तहत 'सत्य प्रति' के रूप में प्रमाणित किया हो।

ii) मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन, या कंपनी/संस्था के नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतियाँ।

iii) उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों के पक्ष में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति, जिन्हें कंपनी/संस्था की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए अधिकृत किया गया है; इसके साथ ही उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर भी संलग्न होने चाहिए।

3. आवेदक को एक मैंडेट फॉर्म (यदि पहले जमा नहीं किया गया है) भी जमा करना चाहिए, ताकि उन्हें जारी की गई प्रतिभूतियों पर मिलने वाले छमाही ब्याज और मोचन राशि का भुगतान किया जा सके।

नियम और शर्तें

1. सरकारी प्रतिभूति न्यूनतम दस हज़ार रुपये (अंकित मूल्य) की राशि के लिए जारी की जाएगी और उसके बाद ₹10,000/- के गुणकों में जारी की जाएगी।

2. प्रत्येक बोली के लिए एक अलग निविदा फ़ॉर्म जमा किया जाना चाहिए।

3. नीलामी के परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित किए जाएँगे।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास किसी भी या सभी बोलियों को यदि वह उचित समझे, बिना कोई कारण बताए, पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा विवेकाधिकार होगा।

5. निविदाकर्ता को स्वयं नीलामी का परिणाम देखना चाहिए और, यदि सफल होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट, मुंबई से बोली आवंटन का विवरण प्राप्त करना चाहिए।

6. स्वीकार की गई निविदाओं के मामले में, नीलामी में निर्धारित मूल्य/निर्धारित प्रतिफल/ निर्दिष्ट प्रतिभूति के निर्धारित मूल्य (जैसा भी लागू हो) पर सरकारी प्रतिभूति उस अंकित राशि के लिए जारी की जाएगी जिसके लिए आवेदन किया गया था।

7. भुगतान निपटान तिथि पर भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रखे गए चालू खाते से डेबिट करके किया जाएगा।

8. सरकारी प्रतिभूति संबंधित पक्षों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रखे गए उनके सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/घटक सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) खाते में जमा करके, या यदि नीलामी अधिसूचना में प्रावधान हो तो स्टॉक प्रमाणपत्रों के रूप में जारी की जाएगी।